नौशमोहम्मद बनाम दीनमोहम्मद प्रा०पत्र 13/20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/01/23	आज पत्रावली पेश हुई, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 RTA पर दिनांक 28/07/20 को प्रार्थना-पत्र दर्ज रजि० किया जाकर अप्रार्थीगण दीनमोहम्मद वगै० को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया था कि वे दिनांक 01/09/2020 तक आ० ख० नं० 752/0.33, 799/0.63, 800/0.45, 835/0.40, 842/0.32, 869/0.19, 913/0.87, 952/0.76 वाके कस्बा नगर तह० नगर पर आ०ता० पेशी तक रहन बय मुंतकिल न करे।	
	इसके पश्चात आगामी तारीख पेशियों तक अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रभावी रही।	
	प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण की प्रार्थी अधिवक्ता ने काफी समय बीत जाने पर भी तलबी नहीं कराई।	
	प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने कहा कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है तथा गैरसायलान नं. 1 जो कि मेरे पिता है वो वृद्ध व्यक्ति है जिसे दिखाई नहीं देता है जिससे हमारी आराजी खुर्द-बुर्द होने की आशंका बनी रहती है इसलिये दावा निर्णित होने तक अस्थायी निषेधाज्ञा को सपुष्ट किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कहा कि सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र महज प्रार्थी गैरसायल को नाजायज तंग व परेशान करने की गरज से सही व सत्य वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए पेश किया है यह कि उक्त खसरा नम्बर ... सायल के नाम रिकॉर्ड मे दर्ज है जो ... से आई इस तथ्य को सायल द्वारा ... छिपाना यह प्रमाणित करता है कि सायल न्यायालय के समक्ष ... हेज नहीं आया है। तथा वादी व प्रतिवादी मेव यानी मुस्लिम समुदाय से है जिनमे हिन्दू उत्तराधिकारी अधि० यानी पैतृक आराजी में दावा लाने का अधिकारी नहीं है। स्वयं की कब्जे काश्त की आराजी होने से	

P.O. उप खण्ड अ... नगर (...)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.10.05 16:06:51 IST
Reason: SelfAttested

नेकमोहम्मद बनाम दीनमोहम्मद प्रा०पत्र 13/20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करने योग्य है का कथन किया। पत्रावली का समग्र अध्ययन/अवलोकन किया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। इस उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि — पूर्व मे जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की आदेशिका दिनांक 28/07/2020 में उनवान नेकमोहम्मद बनाम नूरमोहम्मद वगैरा के स्थानपर दीनमोहम्मद वगैरा पढा जावें। प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र से यह स्पष्ट नही कर पाया है कि आराजी पैतृक आराजी किस प्रकार से है तथा उसका कितना हिस्सा आराजी मे होना चाहिये, यहां यह भी उल्लेखित है कि वादी और प्रतिवादी मेव जाती के है जो हिन्दू धर्म मे संबंधित नही है। इसमे प्रथम दृष्टया वाद होना स्पष्ट नही होता है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2075-78 में अप्रार्थी संख्या 01 एक खातेदार के रूप में दर्ज एवं प्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट नही करने से कि विवादित आराजी किस प्रकार से पैतृक आराजी है तथा रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष मे सुविधा का संतुलन प्रमाणित होता है। स्वयं प्रार्थी को अपने हितो की स्पष्ट जानकारी न होने तथा एक संभावित परिकल्पना के आधार पर कि उसे अपूरणीय क्षति हो सकती है, स्वीकार्य नही होता है। इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे दिनांक 28/07/2020 को जारी [illegible] अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] न्यायोचित के आदेश को जारी रखा जाना [illegible] नही समझता है तथा [illegible] को अस्वीकार करते हुए [illegible] जाता है। जारी अन्तरिम अस्थाई को खारिज [illegible] मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 06/01/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर कसलोन [illegible] वाद [illegible]	

(सक्षम अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.10.05 16:06:51 IST
Reason: SelfAttested